सेवार्थ,

20.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड़ सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा पत्रावली सलंग्न है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होनें पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कम्प कोर्ट स्थल–अटल सेवा केन्द्र एड सिणधरी)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 47/2018

प्रार्थीगण

1. बागाराम पुत्र हीराराम
2. आईदानराम पुत्र हीराराम

जाति जाट निवासी मिठियावास
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भेराराम पुत्र हुक्माराम
2. जगराम पुत्र हुक्माराम
3. मूलाराम पुत्र हुक्माराम
4. भीखाराम पुत्र हुक्माराम
5. अचलाराम पुत्र हुक्माराम
6. धनाराम पुत्र बींजाराम
7. ठाकराराम पुत्र बींजाराम
8. सिमरथाराम पुत्र बींजाराम
9. मोहनराम पुत्र बींजाराम
10. रूगाराम पुत्र बींजाराम
11. लुम्भाराम पुत्र शिवजीराम
12. पोकरराम पुत्र शिवजीराम
13. जेहाराम पुत्र शिवजीराम
14. मलाराम पुत्र शिवजीराम
15. नवलाराम पुत्र शिवजीराम
16. अणदु पत्नी शिवजीराम
17. जीयाराम पुत्र तुलछाराम
18. नेमाराम पुत्र तुलछाराम
19. देवाराम पुत्र वीराराम
20. चुनाराम पुत्र पदमाराम
21. सुजाराम पुत्र पदमाराम
22. हीमताराम पुत्र पदमाराम
23. गवरी पत्नी पदमाराम
24. मगाराम पुत्र शोभाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

25. धूडा पुत्र शोभाराम
26. हंजारी पुत्र शोभाराम
27. रामाराम पुत्र शोभाराम
28. हडमानराम पुत्र शोभाराम
29. देराजराम पुत्र शोभाराम
30. राजो पत्नी शोभाराम
31. चेतनराम पुत्र चौखाराम
32. ताजाराम पुत्र चौखाराम
33. लच्छाराम पुत्र चौखाराम

    जाति सुथार निवासी मीटीयावास
    तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

34. हनुमानराम पुत्र लिखमाराम
35. साजनराम पुत्र भेराराम
36. रावताराम पुत्र दलाराम
37. सोनाराम पुत्र भैराराम
38. किरताराम पुत्र दानाराम
39. दानाराम पुत्र भूराराम
40. रामाराम पुत्र पोकरराम
41. ताजाराम पुत्र खेताराम
42. गोमाराम पुत्र निम्बाराम
43. हडमानराम पुत्र मुकमनाराम
44. तुलसाराम पुत्र खरताराम
45. वनाराम पुत्र मोटाराम
46. लाखाराम पुत्र खंगाराराम
47. देवाराम पुत्र लच्छाराम
48. राजूराम पुत्र हरजीराम
49. पूनमाराम पुत्र मांगाराम
50. धमाराम पुत्र हुकमाराम
51. जेठाराम पुत्र शिवजीराम
52. वालाराम पुत्र डालूराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

53. गोदूराम पुत्र खूमाराम
54. हेंमाराम पुत्र पेलादराम
55. नवलाराम पुत्र पनाराम
56. कुंभाराम पुत्र उदाराम
57. भोमाराम गोदपुत्र हुकमाराम
58. तुलछाराम पुत्र रावताराम
59. जोगाराम पुत्र जुगताराम
60. कालूराम पुत्र डूंगराराम
61. चुतराराम पुत्र केहराराम
62. चिमाराम पुत्र साजनराम
63. भैराराम पुत्र दलाराम
64. खेमाराम पुत्र टीकमाराम
65. कंवराराम पुत्र राजूराम
जाति जाट निवासी एड सिणधरी
तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
66. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थितः–1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

आदेश

दिनांक–20.6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मीठीयावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1802/1534 रकबा 55–19 बीधा,खसरा संख्या 1565,1570,1848/1532 कुल रकबा 99–18 बीधा,खसरा संख्या 1564,1571 कुल रकबा 40–14 बीधा एंव ग्राम एड मानजी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 131 रकबा 84–18 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

ण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में
जा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मीठीयावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील
णधरी की खेत खसरा संख्या 1802/1534 रकबा 55-19 बीधा,खसरा संख्या 1565,1570,1848/1532 कुल रकबा 99-18 बीधा,खसरा संख्या 1564,1571 कुल रकबा 40-14 बीधा एंव ग्राम एड मानजी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 131 रकबा 84-18 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड्र नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम मीठीयावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1802/1534 रकबा 55-19 बीधा,खसरा संख्या 1565,1570,1848/1532 कुल रकबा 99-18 बीधा,खसरा संख्या 1564,1571 कुल रकबा 40-14 बीधा एंव ग्राम एड मानजी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 131 रकबा 84-18 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मीठीयावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1802/1534 रकबा 55-19 बीधा,खसरा संख्या 1565,1570,1848/1532 कुल रकबा 99-18 बीधा,खसरा संख्या 1564,1571 कुल रकबा 40-14 बीधा एंव ग्राम एड मानजी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 131 रकबा 84-18 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम मीठीयावास पटवार क्षेत्र होडू

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1802/1534 रकबा 55–19 बीधा,खसरा संख्या ,1570,1848/1532 कुल रकबा 99–18 बीधा,खसरा संख्या 1564,1571 कुल रकबा –14 बीधा एंव ग्राम एड मानजी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 131 रकबा 84–18 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम मीठीयावास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 1802/1534 रकबा 55–19 बीधा,खसरा संख्या 1565,1570,1848/1532 कुल रकबा 99–18 बीधा,खसरा संख्या 1564,1571 कुल रकबा 40–14 बीधा एंव ग्राम एड मानजी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 131 रकबा 84–18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्व में सम्पातिद की जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner